


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

उज्जीवन स्माल फाईनेन्स लि. बनाम सोनवीर रजक

प्रकरण संख्या 448/2023 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
29.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं धारा 13 (2) के नोटस में अंकित बन्धक सम्पत्ति के क्षेत्रफल में भिन्नता है। आरती रजक पुत्री स्व. श्री रामजीलाल रजक के हिस्से का कोई उल्लेख नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	